फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 228/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/235) **श्री नंदलाल ओड़ बनाम श्रीमती मोहनीबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.08.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. अनुपस्थित – वकील अपीलार्थी 2. श्री गिरधारीलाल शर्मा – वकील प्रत्यर्थी **अनवान** **1. श्री नन्दलाल पिता श्री किशना ओड़, निवासी जावदीया, जूना, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्रीमती मोहनीबाई पत्नि श्री हीरालाल ओड़, निवासी बाण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार बेगूं, बप्रकरण संख्या 28/2015 निर्णय दिनांक 02.03.2017 (अनवान श्रीमती मोहनीबाई बनाम श्री नन्दलाल)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 06.08.2024 **उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार बेगूं, बप्रकरण संख्या 28/2015 निर्णय दिनांक 02.03.2017 (अनवान श्रीमती मोहनीबाई बनाम श्री नन्दलाल) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।** प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेगूं समक्ष श्रीमती मोहनीबाई पिता श्री भवाना ओड़ निवासी जवादिया, जूना ने एक प्रार्थना पत्र विरासत से नामान्तरकरा स्वीकृत करने का पेश कर निवेदन किया कि उसकी माता श्रीमती नन्दुबाई का देहान्त दिनांक 27.9.2006 को हो गया है, नन्दुबाई के बजाय उसके मोहनीबाई के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। श्री नन्दलाल ओड़ की ओर से भी नामान्तरकरण बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि श्रीमती नन्दुबाई की मृत्यु का कार्यक्रम एवं पगड़ी दस्तुर उसके द्वारा किया गया, इसलिए नन्दुबाई के बजाय उसके नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। • उक्त प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार बेगूं द्वारा धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रकरण संख्या 28/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 02.03.2017 से श्रीमती नन्दुबाई की विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती मोहनीबाई पिता श्री भवाना ओड़ निवासी जावदिया जूना के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। न्यायालय तहसीलदार बेगूं के निर्णय दिनांक 02.03.2017 से व्यथीत होकर अपीलार्थी श्री नन्दलाल ओड़ द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 228/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/235) **श्री नंदलाल ओड़ बनाम श्रीमती मोहनीबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 19.03.2017 को पेश की गई। तत्पश्चात धारा-135(2) तहत अपीलीय प्रावधान न्यायालय संभागीय आयुक्त को होने से पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुई जिसे दिनांक 27.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा आदेश दिनांक 28.01.2021 से जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रदान किये जाने से उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई, जिसे दर्ज प्रकरण संख्या 204/2021 से रजिस्टर किया गया और पक्षकारान को तद्नुसार सूचित किया गया। उक्त प्रकरण को दिनांक 08.09.2021 को अदम पेरवी अहम हाजरी में खारिज किया गया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 21.09.2023 से प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश होने से प्रकरण संख्या 228/2023 दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त किया गया। दिनांक 31.07.2024 को अधिवक्ता प्रत्यर्थी उपस्थित एवं अधिवक्ता अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित। फर्द अहकाम के अवलोकन उपरान्त अधिवक्ता अपीलार्थी नियमित अनुपस्थित होने से उपस्थित अधिवक्ता प्रत्यर्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। न्यायहित में अधिवक्ता अपीलार्थी को निर्णय से पूर्व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया, परन्तु निर्णय दिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त स्थिति होने उपरान्त भी यह न्यायालय प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निम्नानुसार निस्तारित किया जाना उचित समझता है। **अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों अंकन किया कि** अधीनस्थ न्यायालय समक्ष श्रीमती मोहनी बाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि भुवाना व अपीलार्थी के पिता किशना भाई-भाई रहे है। भुवाना के कोई संतान नहीं थी। भुवाना नन्दुबाई को नाते लाया था जिसके भी कोई वारिस नहीं हुआ। श्रीमती मोहनी बाई नन्दुबाई के साथ गेलड के रूप में आयी थी जिसका श्री भुवाना की विरासत में कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। भुवाना की लाऔलाद मृत्यु होने से अपीलार्थी उसके भाई का पुत्र होकर वारिस बनता है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी ने ही भुवानाा एवं नन्दुबाई की अंतिम क्रियाकर्म व सेवा चाकरी की है, जिससे नन्दुबाई के नाम दर्ज कृषि आराजीयात अपीलार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोहित है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष साक्ष्य से यह प्रमाणित कराया कि भुवाना नन्दुबाई का नाते लाया था एवं श्रीमती मोहनीबाई नन्दुबाई के साथ आई थी, ऐसी स्थिति में मोहनीबाई न तो भुवाना की वारिस हो सकती है, न ही नन्दुबाई की वारिस हो सकती है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बगैर प्रत्यर्थी श्रीमती मोहनीबाई को नन्दुबाई की वारिस मानते हुए जो निर्णय दिया है, वह काबिल निरस्त के है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर नन्दुबाई के नाम पर दर्ज आराजीयात अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय पारित फरमाया जावें। **प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** द्वारा बहस में अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 228/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/235) **श्री नंदलाल ओड़ बनाम श्रीमती मोहनीबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी श्रीमती नन्दुबाई की एकमात्र जायन्दा पुत्री होकर एक मात्र वारिस है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर संबंधित के बयान एवं जिरह का अवसर प्रदान किया गया। पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई और प्रत्यर्थी के नाम नामान्तरकरण का आदेश प्रसारित किया। अपीलार्थी न तो नन्दुबाई का पुत्र है व न ही भवाना द्वारा उसे गोद लिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष तय किया जा चुका है। उक्त जांच एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत पारित किया है, जिससे अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेगूं समक्ष श्रीमती मोहनीबाई पिता श्री भवाना ओड़ निवासी जवादिया, जूना ने एक प्रार्थना पत्र विरासत से नामान्तरकरा स्वीकृत करने का पेश कर निवेदन किया कि उसकी माता श्रीमती नन्दुबाई का देहान्त दिनांक 27.9.2006 को हो गया है, नन्दुबाई के बजाय उसके मोहनीबाई के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। श्री नन्दलाल ओड़ की ओर से भी नामान्तरकरण बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि श्रीमती नन्दुबाई की मृत्यु का कार्यक्रम एवं पगड़ी दस्तुर उसके द्वारा किया गया, इसलिए नन्दुबाई के बजाय उसके नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावें। उक्त प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार बेगूं द्वारा धारा-135(2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रकरण संख्या 28/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 02.03.2017 से श्रीमती नन्दुबाई की विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती मोहनीबाई पिता श्री भवाना ओड़ निवासी जावदिया जूना के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर यह अपील पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली से यह प्रकट होता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बेगूं द्वारा प्रस्तुत शपथकर्ताओ एवं अन्य के बयान दर्ज किये गये, विपक्षी को जिरह का अवसर प्रदान किया गया। संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त बयान एवं रिपोर्ट यह स्थिति अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्पष्ट थी कि श्रीमती मोहनीबाई नन्दुबाई की जायन्दा पुत्री थी और विवादित भूमियों श्रीमती नन्दुबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और जायन्दा पुत्री नन्दुबाई की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उसकी मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरकरण की अधिकारी थी। अपीलार्थी श्री नन्दलाल ओड़ श्री भवाना के भाई का पुत्र है, जिसको कभी भी भवाना अथवा नन्दुबाई द्वारा गोद नहीं लिया गया और न ही उसके नाम कोई वसीयत की गई, ऐसा तथ्य संबंधित द्वारा तहसीलदार समक्ष बयान में प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय अपीलार्थी आलौच्य आदेश में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 228/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/235) **श्री नंदलाल ओड़ बनाम श्रीमती मोहनीबाई**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature. Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit.

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2002 आरआरटी (1) पेज 77 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 113- Mutation - Once the dispute about the right to succession was raised at the time of mutation, it was not opento revenue authorities to adjudicate upon the right to succession but the matter should have been referred to the civil court.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने हक व अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

प्रावधित है कि नामांतकरण खोलते समय मृतक के वारिसान के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद है तो न्यायालय को नामांतकरण खोलने का अधिकार नहीं होता है। उस नामांतकरण को अपनी टिप्पणी के साथ तहसीलदार को सुपुर्द करना आवश्यक होता है तथा तहसीलदार धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर नामांतकरण तस्दीक किया जाना होता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार, बेगूं द्वारा सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रसारित किया है। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.03.2017 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर